न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 73/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चेनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावरी तहसील रियांबडी जिला नागौर।		1जनहित सेवा संस्थान जरिये अध्यक्ष – नंदबिहारी पुत्र कैलाशचंद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी मेडतासिटी तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। 2राज. सरकार जरिये तहसीलदार रियांबडी।

उपस्थिति –
1श्री वकील अपीलांट की ओर से श्री श्याम लाल हठीला एडवोकेट उपस्थित।
2श्री श्याम कुमार व्यास, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.07.18

{1}–प्रकरण में अपीलांट द्वारा तहसीलदार रियांबडी के नामान्तरकरण सं. 603 वाके ग्राम भैंसडाकलां दिनांक 30.08.16 को स्वीकृत किये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 08.08.17 को प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 नंदबिहारी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.18 को प्रस्तुत किया गया है। जिसका वकील अपीलांट द्वारा जवाब दिनांक 26.06.18 को प्रस्तुत किया गया है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पर सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि –

{2}(1)–अपीलांट द्वारा ग्राम भैसडा कलां तहसील रियांबडी स्थित खसरा नं.8 रकबा 2.02 हैक्ट. में 1/8 भाग बाबत किये गये समर्पण पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण सं. 603 स्वीकृत किया गया है, उसे चुनौती दी गई है।

{2}(2)– अपीलांट ने नामान्तरकरण जैर अपील में समर्पण पत्र दिनांक 26.8.16 को अपील कथन में विधि विरूद्व एवं प्रारंभ से ही शून्य बताकर उस समर्पण पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को चुनौती दी है। जबकि धारा 55 से 58 टिनेन्सी एक्ट के अनुसार समर्पण के मामले में चुनौती देने का अधिकार केवल भूमिधारी को है, न कि किसी खातेदार को। भूमिधारी द्वारा किसी प्रकार की चुनौती समर्पण पत्र को नही दी गई है। न ही उक्त अपील भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सहखातेदार को उक्त समर्पण पत्र को चुनौती देने का विधिक अधिकार नही है। इस कारण उक्त अपील इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 234 नजीर प्रस्तुत की गई है।

{2}(3)– उक्त समर्पण पत्र दिनांक 26.8.16 के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां सिविल वाद सं. 56/17 विचाराधीन है। जिसमें समर्पण को निरस्त किये जाने बाबत इस्तदुआ चाही गई है एवं उक्त वाद में विवादित भूमि बाबत मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेडता द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जहां पक्षकारान के मध्य रेग्यूलर वाद विचाराधीन हो, वहां म्यूटेशन अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2005(1) पेज 665 व आरआरटी 2004(1) पेज 489 नजीर प्रस्तुत की गई है।

{3}– वकील अपीलांट द्वारा वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का विरोध करते हुए रेस्पोडेन्ट की प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र के जवाब अपीलांट, के तथ्यों का दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{3}(1)– विवादित समर्पण पत्र को चुनौती देने का अधिकार भूमिधारी को ही हो, खातेदार को नही हो, ऐसा कोई विधिक प्रावधान नही है तथा सह खातेदार को समर्पण पत्र को चुनौती देने का अधिकार नही

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

होने के कारण अपील निरस्तनीय हो, ऐसा विधि अनुसार नही है, जबकि व्यथित पक्षकार जो भी है, उसे चुनौती देने का अधिकार है एवं खसरा नं. 8 का अपीलांट सहखातेदार काश्तकार होने के नाते नामान्तरकरण सं. 603 से अपीलांट व्यथित पक्षकार है, इस कारण से उसे अपील पेश करने का विधिक अधिकार है।

{3}(2)– जहां तक पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होने का प्रश्न है, वह समर्पण पत्र बाबत है एवं वर्तमान प्रकरण में अपीलांट ने नामान्तरकरण को चुनौती दी है एवं नामान्तररकण हेतु संक्षिप्त प्रक्रिया है, सिविल वाद के लम्बित रहते नामान्तरकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है। विधि विरूद्व नामान्तरकरण कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस कारण वर्तमान अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित नही है।

{3}(3)– जहा रेस्पोडेन्ट ने प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने के लिये पेश किया है एवं प्रकरण में पहले से ही सुनवाई हेतु लम्बे समय से अवसर दिये जा चुके है एवं अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने यह प्रार्थना पत्र बदयान्तिपूर्वक प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{4}– प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।

प्रकरण में ग्राम भैंसडाकलां के खसरा नं. 8 रकबा 2.02 हैक्ट. में से रेस्पोडेन्ट द्वारा समर्पित की गई भूमि 0.0255 हैक्ट. भूमि का राजकीय पक्ष में समर्पण के आधार पर नामान्तरकरण सं. 603 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2016 को स्वीकार किया गया है, के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें सहखातेदारी भूमि होते हुए भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व अन्य सहखातेदारों को सुने बिना ही खातेदारों के मध्य विभाजन हुए बिना ही समर्पण पत्र स्वीकार कर नामान्तरकरण जैर अपील तस्दीक किये जाने को लेकर उजर लिया गया है। जबकि यह अपील नामान्तरकरण को लेकर प्रस्तुत की गई है।

आराजी भूमि को लेकर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश मेडता में भंवरसिंह उर्फ गोपालसिंह बनाम बिरजकंवर व अन्य दीवानी वाद सं. 56/17 घोषणा बंटवाडा, मनसूखी बेचान दिनांक 13.07.16 व स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 4 व अपीलांट चेनसिंह प्रतिवादी सं. 43 पक्षकार है। उक्त वाद में बंटवाडा, बेचान दिनांक 13.07.16 निरस्त करवाये जाने एवं समर्पण पत्र दिनांक 26.08.16 को निरस्त किये जाने को लेकर अनुतोष चाहा गया है तथा दीवानी विविध सं. 76/17 भंवरसिंह उर्फ गोपालसिंह बनाम बिरजकंवर अन्य में माननीय जिला न्यायालय मेडता द्वारा दिनांक 27.09.17 को आगामी आदेश तक वादग्रस्त मौके की यथास्थिति बनाये रखे, कोई भी पक्ष वादग्रस्त सम्पति पर निर्माण नही करने, उसका अन्तरण नही करने, उसे खुर्दबुर्द नही करने एवं रेकर्ड की यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित कर पक्षकारों का पाबंद भी किया हुआ है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो में कोई विरोधाभासी कथन भी नही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा इसके आधार पर अधिकार या स्वत्व अंतिम रूप से सृजित नही होते है। स्वत्व की घोषणा हेतु नियमित वाद किया जाना जरूरी होता है। यहां जब इस मामले में घोषणा बंटवाडा, मनसूखी बेचान दिनांक 13.07.16 व समर्पण पत्र दिनांक 26.08.16 को निरस्तीकरण को लेकर दीवानी वाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, मेडता में विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्यवाही को आगे चलाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की प्रारंभिक आपति उचित आधारों पर प्रतीत होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 नंदबिहारी का प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.18 ठोस आधारो पर होने से स्वीकार कर अपीलांट की अपील इस स्टेज पर खारिज की जाती है।

{6}– आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर